राजस्थान सरकार

निदेशालय संस्कृत शिक्षा राजस्थान जयपुर

क्रमांकः–निसंशि / सस्था. 2क / पं.वेतन विसंगति / 2017/3737-3880 जयपुर, दिनांकः–31.1.2018

आदेश

वरिष्ठ उपाध्याय विद्यालयों / महाविद्यालयों मे संस्थाओं के संचालन हेतु वरिष्ठ अध्यापक I ग्रेड / प्रधानाध्यापक, प्रवेशिका को कार्यव्यवस्थार्थ अग्रिम आदेशों तक प्राचार्य, वरिष्ठ उपाध्याय विद्यालय (वर्तमान पदनाम, प्रधानाचार्य, वरिष्ठ उपाध्याय विद्यालय) / व्याख्याता महाविद्यालय के पद पर पातेय वेतन पर पदस्थापित किया गया था।

उपर्युक्त प्रधानाचार्य, वरिष्ठ उपाध्याय विद्यालय / व्याख्याता महाविद्यालय पातेय वेतन पर कार्यरत कार्मिको ने प्रधानाचार्य, वरिष्ठ उपाध्याय / व्याख्याता महाविद्यालय पातेय वेतन के पद पर कार्यारम्भ दिनांक से वेतन का परिलाभ दिलवाने हेतु माननीय न्यायालय मे याचिका दायर की जिसमें माननीय न्यायालय जोधपुर मे अवमानना याचिका संख्या 19 / 2013 (डॉ0भगवती शंकर व्यास व अन्य बनाम श्री अशोक शेखर एवं अन्य अन्तर्गत एस.बी.सिविल रिट पिटीशन संख्या 5116 / 2012 के निर्णय दिनांक 24.09.2012 एवं एस.बी. सिविल रिट संख्या 5604 / 2004 (श्री बहादुर सिंह गुर्जर एवं अन्य बनाम राज्य सरकार) के निर्णय दिनांक 06.12.2013 व एस.बी.सिविल रिट पिटीशन संख्या 7934 / 2014 गेय कुमार झा व अन्य बनाम राज्य सरकार व अन्य के आदेश दिनांक 04.12.2015 के अनुसार इन याचिकाकर्ताओं को प्रधानाचार्य, वरिष्ठ उपाध्याय के पद पर पातेय वेतन मे कार्यारम्भ दिनांक से परिलाभ देने के आदेश पारित किये। इन निर्णयों की पालना मे कमशः विभागीय आदेश दिनांक 04.08.2014 व 8.06.2016 द्वारा याचिकाकर्ता प्राध्यापक / प्रधानाध्यापक प्रवेशिका को पातेय वेतन मे प्रधानाचार्य, वरिष्ठ उपाध्याय विद्यालयों / महाविद्यालयों मे कार्यारम्भ दिनांक से प्रधानाचार्य / व्याख्याता के पद का वेतनमान दिये जाने के आदेश प्रदान किये गये।

उपर्युक्त प्रधानाचार्य, वरिष्ठ उपाध्याय / व्याख्याता महाविद्यालय पातेय वेतन मे से राजस्थान संस्कृत शिक्षा राज्य एव अधीनस्थ (विद्यालय विभाग) सेवा नियम 2015 मे विहित प्रधानाचार्य, वरिष्ठ उपाध्याय के पद की पदोन्नति के मानदण्डानुसार प्रधानाचार्य, वरिष्ठ उपाध्याय विद्यालय के पद पर पदोन्नति की पात्रता रखते थे, उनका वर्ष 2015–16 मे विभागीय आदेश संख्या निसंशि / संस्था– 2कख / डीपीसी / 2016 / 14381–749 दिनांक 21.04.2017 द्वारा प्रधानाचार्य, वरिष्ठ उपाध्याय के पद पर पदोन्नत कर पदस्थापन आदेश जारी किये गये।

प्रधानाचार्य, राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय विद्यालय के पद पर विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा वर्ष 2015–16 चयनोपरान्त पदोन्नत कार्मिक जो पातेय वेतन पर कार्यरत थे का वेतन निर्धारण किये जाने के सम्बन्ध मे राजस्थान सरकार शिक्षा (ग्रुप–6) विभाग के पत्रांक पं.1(16)शिक्षा–6 / 2013 लूज जयपुर, दिनांक 16.01.2018 के कम में वित्त विभाग की आई.डी.संख्या 101706685 दिनांक 10.01.2018 द्वारा राय निम्नानुसार प्रदान की है।

Director, Sanskrit Education is Informed that in such matters fixation of pay on higher post may be made on the basis of pay admissible on the lower post from the date of promotion. The pay drawn as Patey Vetan against higher

post is not to be taken into account for the purpose of fixation of pay after selection through DPC.

अतः उक्त प्रकरण में राजस्थान सरकार वित्त विभाग की उपर्युक्त राय के अनुसार पदोन्नति पर काल्पनिक वेतन का निर्धारण दिनांक 09.10.2015 (राजस्थान संस्कृत शिक्षा राज्य एवं अधिनस्थ सेवा नियम 2015 (विद्यालय विभाग) जारी होने की दिनांक से तथा वास्तविक परिलाभ कार्यग्रहण तिथि से देय होगा।

(विमल कुमार जैन)
IAS
निदेशक
संस्कृत शिक्षा राजस्थान जयपुर

3737-3880
31.1.2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. उप शासन सचिव शिक्षा (ग्रुप–6) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. मुख्य लेखाधिकारी, संस्कृत शिक्षा राजस्थान जयपुर।
3. वरिष्ठ विधि अधिकारी, संस्कृत शिक्षा, राजस्थान जयपुर।
4. सम्बन्धित संभागीय संस्कृत शिक्षा अधिकारी राजस्थान।
5. सम्बन्धित प्रधानाचार्य, राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय राजस्थान।
6. सम्बन्धित कार्मिक।
7. रक्षित पत्रावली।

(डॉ0 भास्कर शर्मा)
संयुक्त निदेशक
संस्कृत शिक्षा राजस्थान जयपुर